

सूक्ष्म खाद्य

प्रसंस्करण उद्यमों के
विकास के लिए,
एक विशेष पहल

“हमारी सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े छोटे उद्यमों को आसान ऋण और तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि उनमें दुनिया के बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत भागीदार बनें”

- प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

PMFME (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज) स्कीम के अंतर्गत अपने सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को बढ़ाने के लिए एवं **35%** की सब्सिडी के साथ बैंक ऋण पाने के लिए हमारे पोर्टल www.pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें

जिससे 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य उद्यमों को होगा लाभ

PMFME स्कीम के फ़ायदे

35%

बैंक से लोन लेने पर पाएँ
35% सब्सिडी
(अधिकतम ₹10 लाख)



ज़िले के ODOP उत्पाद के अंतर्गत नए उद्योग लगाने के लिए भी बैंक से लोन एवं सब्सिडी उपलब्ध



ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता



dayp 16101/13/0007/2122

बैंक से लोन एवं **35%** सब्सिडी
पाने के लिए आज ही www.pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करें

www.pmfme.mofpi.gov.in | 01302281089

[f @PMFME-Ministry-of-Food-Processing-Industries](https://www.facebook.com/PMFME-Ministry-of-Food-Processing-Industries)

[y Ministry of Food Processing Industries, India](https://www.youtube.com/Ministry-of-Food-Processing-Industries)

[i @PMFMEScheme](https://www.instagram.com/PMFMEScheme)



PMFME Weblink

अधिक जानकारी के लिए
स्कैन करें